संख्या-197/2015/1796/71-1-2015-जी-159/2015

प्रेषक

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 09 दिसम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, उरई (जालौन) हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/293, दिनॉक 17-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, उरई जालौन में विभिन्न मानक मदों में रू0 4,46,00,000/- (रू0 चार करोड़ छियालिस लाख मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, उरई जालौन हेतु मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद में रू0 4,00,000/- (रू0 चार लाख मात्र), मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 1,96,00,000/- (रू0 एक करोड़ छियानबे लाख मात्र), मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 2,00,00,000/- (रू0 दो करोड़ मात्र), मानक मद-41-भोजन पर व्यय में रू0 6,00,000/- (रू0 छः लाख मात्र), मानक मद-43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 30,00,000/- (रू0 तीस लाख मात्र) तथा मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) कुल रू0 4,46,00,000/- (रू0 चार करोड़ छियालिस लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-02-राजकीय मेडिकल कालेज, उरई (जालौन)-15-गाडियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान-39-औषधि तथा रसायन-41-भोजन पर व्यय-43-सामग्री और सम्पूर्ति-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1462/दस-2015, दिनॉक 03 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 197/2015/1796(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उरई (जालौन)।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उरई (जालौन)।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, उरई (जालौन)।
6- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।